क्रम-संख्या—557

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 22 अक्तूबर, 1977

आश्विन 29, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2952/सत्रह-वि-0-1--82--1977

लखनऊ, 22 अक्तूबर, 1977

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1977 पर दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1977)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1966 की धारा 20 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 20 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,—

(क) खण्ड (कक) में, वर्तमान स्पष्टीकरण, जिसे पुनः संख्यांकित करके स्पष्टीकरण-एक किया जायेगा, के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—दो—समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार की स्थिति में, यदि ऐसे संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा, दस्तावेज न हो जिसमें देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, तो पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ पद "देय दिनांक" का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से छः मास की समाप्ति का दिनांक होगा।

स्पष्टीकरण—तीन—किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा, यदि वह उस धनराशि का, जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ हो—

(एक) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदाता सूची के विरुद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिये नियमावली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व,

(दो) किसी अन्य दशा में, बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे।"

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "उन विधियों के अनुसार" के स्थान पर शब्द "नियत रीति से" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 28 में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "ऐसे सदस्यों के, समिति की उपविधियों में व्यवस्थित रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवेत, प्रतिनिधियों में अन्तिम प्राधिकार निहित करने की व्यवस्था की जायगी" के स्थान पर शब्द "अन्तिम प्राधिकार ऐसे सदस्यों के, नियत रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समवेत प्रतिनिधियों में निहित होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 29 में,—

(क) उपधारा (3) के अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि सहकारी समितियों के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों और सभापति और उप सभापति के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और संचालन निबन्धक में निहित होगा और धारा 32 के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी ऐसा निर्वाचन किसी बैठक से अन्यथा भी हो सकेगा।";

(ख) उपधारा (6) में शब्द "अथवा अपनी नियुक्ति के दिनांक से जो भी पश्चात्-वर्ती हो एक वर्ष की समाप्ति" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह माह की समाप्ति अथवा अपनी नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति जो भी पश्चात्वर्ती हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 31 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और 3 अक्तूबर, 1975 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"(1) सिवाय शीर्ष समिति के प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा जो नियमों और धारा 121 और 122 के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समिति द्वारा नियुक्त किया जायगा और हटाया जा सकेगा। सचिव की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी इस निमित्त बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुरूप बनायी गयी समिति की उपविधियों में विहित की जायं:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहकारी समितियों के किसी भी वर्ग के लिये सचिवों के पद के लिये सर्व सामान्य सेवा का सृजन धारा 122-क के अधीन किया गया हो, वहां ऐसे पदों पर भर्ती, नियुक्ति और उन पर नियुक्त व्यक्तियों, जिसमें ऐसी सेवा के सृजन के पूर्व ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, को हटाने और उनकी सेवा की अन्य शर्तें उक्त धारा के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगी।"

धारा 70 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 70 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद निबन्धक को तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित न कर दिया जाय।"

नई धारा 104-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 104 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"104-क (1) निबन्धक, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, प्रशमन शुल्क की ऐसी धनराशि वसूल करने के पश्चात् कर सकता है जैसी वह उचित समझे, और यदि वह अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो प्रशमन शुल्क उस अपराध के लिये निर्धारित अधिकतम जुर्माने की धनराशि से अधिक नहीं होगा।

अपराधों का शमन

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(क) अभियोग संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी को ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायगा;

(ख) अभियोग संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा।"

धारा 122-क का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 122-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी और 3 अक्तूबर, 1975 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"122-क (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की, कतिपय सेवाओं का केन्द्रीयकरण जिसे राज्य सरकार उचित समझे, ऐसी सहकारी समितियों के लिये सर्वमान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिये नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में भर्ती, नियुक्ति, और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को हटाने की प्रणाली और उनकी सेवा की अन्य शर्तों को नियत कर सकती है;

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय, तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक को ऐसी समितियों के सभी कर्मचारियों को ऐसी सेवा के सृजन के दिनांक से सेवा में अस्थायी रूप से आमेलित समझा जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत अवधि के भीतर नियत प्राधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और उस दशा में समिति में उसकी सेवायें ऐसी नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और वह समिति से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो—

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके तीन मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके एक मास के या सेवा की शेष अवधि के, जो भी कम हो, वेतन (जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित हैं) के बराबर होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अस्थायी रूप से आमेलित कर्मचारी सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किया जा सकता है, यदि वह निबन्धक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अन्वीक्षण के पश्चात् उपयुक्त पाया जाय और किसी ऐसे कर्मचारी की सेवायें जिसे सेवा में आमेलन के लिये उपयुक्त न पाया जाय, विहित प्राधिकारी द्वारा, और जब तक ऐसा प्राधिकारी विहित न किया जाय निबन्धक के ऐसे अनुदेशों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस निमित्त आदेश जारी करने के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी, और वह उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्धारित प्रतिकर का, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी होने के अनुसार, हकदार होगा।"

धारा 130 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 130 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "पूर्व प्रकाशन के पश्चात्" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (12) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(12) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों और सभापति और उप सभापति का निर्वाचन, जिसमें निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षण, निर्वाचन विवादों का निपटारा और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में शुल्क का उद्ग्रहण भी सम्मिलित है;

(12-क) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में महिलाओं और निर्बल वर्ग के सदस्यों का नाम-निर्देशन;";

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

धारा 131 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 131 में, उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द "जहां तक वे इस अधिनियम" के पश्चात् शब्द "या इसके अधीन बनाये गये नियमों" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "जब तक कि उन्हें" के पश्चात् शब्द "इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार" रख दिये जायेंगे।

धारा 133 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 133 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्

"(1) राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये के उपबन्धों नियमों के अधीन निर्वाचन से सम्बन्धित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या वांछनीय समझे।"

No. 2952 (2) /XVII-V-I—82-1977

Dated Lucknow, October 22, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1977), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 22, 1977 :

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1977

(U. P. Act no. 17 of 1977)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

It is hereby enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1977.

Amendment of section 20 of U.P. Act no. 11, 1966.

2. In section 20 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in the proviso,—

(*a*) in clause (*aa*), *after* the existing Explanation which shall be re-numbered as, Explanation I, the following explanations shall be *inserted*, namely :—

"*Explanation II*—In the case of a transaction between a society and its member where there is no document evidencing the transaction in which the due date is specified the expression 'due date', for the purposes of the preceding explanation shall mean the date of expiration of six months from the date of transaction.

Explanation III—A member shall cease to be treated as defaulter if he pays the sum for non-payment of which such member became defaulter—

(i) in the case of an election, on or before the date fixed under the rules for deciding objections against the provisional voters' list;

(ii) in any other case, before the commencement of the meeting";

(*b*) in clause (*b*), *for* the words, "appointed according to the bye-laws", the words "appointed in the prescribed manner" shall be *substituted*.

Amendment of section 28.

3. In section 28 of the principal Act, in the proviso, for the words "the bye-laws of the society shall provide for the final authority vesting in the delegates of such members elected in the manner provided in the bye-laws" the words "the final authority shall vest in the delegates of such members elected in the manner prescribed" shall be *substituted*.

Amendment of section 29.

4. In section 29 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (3) at the end, the following proviso shall be *inserted*, namely—

"Provided that the State Government may by notification direct that in respect of such class of Co-operative Societies as may be specified, the superintendence, direction, control and conduct of elections of the

members and Chairman and Vice-Chairman of the committees of management shall vest in the Registrar and such selection may be held otherwise than in any meeting, notwithstanding anything contained in clause (*b*) of section 32.";

(*b*) in sub-section (6), *for* the words "one year" the words "eighteen months" shall be *substituted* and the words "or from" the words "or of one year from" shall be *substituted*.

Amendment of section 31.

5. In section 31 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* and deemed to have been substituted on October 3, 1975, namely—

"(1) 'Except in the case of an apex society there shall be a secretary of every co-operative society, to be appointed and removable by the society subject to the provisions of the rules and regulations framed under sections 121 and 122. The emoluments and other conditions of service of the Secretary shall be such as may be prescribed in the bye-laws of the society made in conformity with the rules and regulations made in this behalf :

Provided that where a service for the post of secretaries common to any class of co-operative societies has been created under section 122-A, the recruitment, appointment, removal and other conditions of service of persons appointed to such posts, including persons appointed to such posts before the creation of such service, shall be governed by the provisions of that section and the rules made thereunder.".

Amendment of section 70.

6. In section 70 of the principal Act, in sub-section (1), at the end the following proviso shall be *inserted,* namely—

"Provided that a dispute relating to an election under the provisions of this Act or rules made thereunder shall not be referred to the Registrar until after the declaration of the result of such election".

Insertion of new section 104-A.

7. *After* section 104 of the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely—

"104-A. (1) The Registrar may, either before or after the institution of the prosecution, compound any offence punishable under this Act on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, and where such offence is punishable with fine only, then such composition fee shall not exceed the maximum amount of fine fixed for the offence.

Compounding of offences.

(2) Where the offence is so compounded—

(*a*) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody be set at liberty;

(*b*) *after* the institution of the prosecution, the composition shall amount to aquittal of the accused."

Substitution of section 122-A.

8. *For* section 122-A of the principal Act, the following section shall be *substituted* and deemed to have been substituted on October 3, 1975, namely—

122-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may by rules provide for the creation of one or more services of such employees of such co-operative societies or class of co-operative societies as the State Government may think fit, common to such co-operative societies and prescribe the method of recruitment, appointment, removal and other conditions of service of persons appointed to any such service.

Centralisation of certain services.

(2) When any such service is created, all employees of such societies existing on the date of creation of such service on the posts included in such service, shall be deemed to have been provisionally absorbed in the service with effect from the date of creation of such service :

Provided that any such employee may, by notice in writing to the prescribed authority within the prescribed period, intimate his option of not becoming a member of such service, and in that event his services in

the society shall stand determined with effect from the date of such notice and he shall be entitled to compensation from the society which shall be—

(*a*) in the case of a permanent employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of three months or for the remaining period of his service, whichever is less;

(*b*) in the case of a temporary employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of one month or for the remaining period of his service, whichever is less.

(3) An employee provisionally absorbed under sub-section (2) may be absorbed finally in the service if found suitable after screening in accordance with the instructions issued by the Registrar; and the services of any such employee as is not found suitable for absorption in the service shall stand determined with effect from the date of issue of orders in that behalf by the prescribed authority and until such authority is prescribed, by the officer specified by the Registrar in that behalf in such instructions and he shall be entitled to compensation as laid down in clause (*a*) or clause (*b*) of sub-section (2) according as he was a permanent or a temporary employee."

Amendment of section 130.

9. In section 130 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the words "after previous publication," shall be *omitted;*

(*b*) in sub-section (2), *for* clause (xii) the following clauses shall be *substituted,* namely—

"(xii) the election of the members and chairman and vice-chairman of the Committee of Management of a co-operative society, including delimitation of constituencies, reservation of seats for women and members belonging to weaker sections, settlement of election disputes, and levy of fees in respect of any such matter;

(xiiA) the nomination of women and members belonging to weaker sections in the committee of management of a co-operative society;";

(*c*) sub-section (3) shall be *omitted.*

Amendment of section 131.

10. In section 131 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) *after* the words "inconsistent with the express provisions of this Act" the words "or the rules made thereunder" shall be *inserted*;

(ii) *after* the words "according to the provisions of this Act," the words "and the rules made thereunder" shall be *inserted.*

Amendment of section 133.

11. *For* sub-section (1) of section 133 of the principal Act, the following sub-section shall be *substituted,* namely—

"(1) The State Government may from time to time, by notification make such incidental and consequential order as may appear to it to be necessary or desirable for the removal of any difficulty in any matter relating to elections under the provisions of this Act or rules made thereunder."

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी०एस०यू०पी०—581 राजपत्र—22-10-77—1977-2068 (मे०)।